नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 73/2025 बअनवान मुकनसिंह के का. मु. वगैरह बनाम रिडमलसिंह के का. मु. वगैरह	ख क्म

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 25.08.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत।
2. रेस्पों. संख्या1/1, 1/2/1, 1/2/3, 1/2/4 व रेस्पों. संख्या 02 की तरफ से अधिवंक्ता श्री अचलाराम थोरी।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट्स की संयुक्त एवं कब्जा–काश्त सुदा आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलांट के संयुक्त व कब्जा–काश्त की भूमि मौजा डोली राजगुरो के खेत खसरा संख्या 245, 248, 518, 236, 288, 261, 407, 416, 217, 602, 513, 527 की भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर लूणसिंहजी काबिज काश्त थे। जो खानदान के मुखिया व कर्ता थे। जिनका देहांत होने पर आराजी विरासत में उनके खानदान के सदस्य अपीलांट व रेस्पों. सख्या 1 को प्राप्त हुई। हस्तगत वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित भूमि होने से भूमि पर लूणसिंहजी के वारिसान को बहैसियत को–पार्सनर के संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। चंकि वक्त सेटलमेंट अपीलांट व रेस्पों. का संयुक्त हिन्दू खानदान को कर्ता व मुखिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खानदान रिडमलसिंहजी बड़े भाई होने से ये संयुक्त हिन्दू खानदान का प्रतिनिधित्व करते थे। जिससे वक्त सेटलमेंट रिडमलसिंहजी ने हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आरजी के खेत खसरा संख्या 245, 248, 518, 236, 288, 261, 407, 416, 217, 602 को हिन्दू खानदान के सदस्य (को– पार्सनर) रिडमलसिंह, मुकनसिंह, पेमसिंह, रूगनाथसिंह पिसरान लूणसिंहजी के खातेदारी में बराबर दर्ज करवा दी, लेकिन हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा सख्या 513 व 527 सेटलमेंट अधिकारियों ने गलती से या रिडमलसिंह से मिलवाट कर अकेले बड़े भाई व कर्ता खानादान रिडमलसिंह स्वयं के खातेदारी में दर्ज अनुचित तरीके से बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कर दी गयी है। जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत है। इस अनुचित आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में की गयी है। गलत राजस्व रेकार्ड को आधार बना कर हस्तगत आराजी को किसी अनजान व्यक्तियों को बेचानं किया जा सकता है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आाधार पर अपील पेश की गई है। जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के वक्त मौकें पर कब्जा–काश्त के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई थी। विवादित आराजी पर रिड़मलसिंह अकेले का ही कब्जा–काश्त होने के कारण उनके ही नाम दर्ज हुई जो न्यायसंगत है। प्रश्नगत आराजी पर वक्त सेटलमेंट से लगातार रिडमलसिंह का कब्जा–काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप

(निर्मल कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अपीलांट द्वारा वक्त सेटलमेंट की प्रविष्टि को लगभग 70 वर्षों के बाद चुनौती दी गई है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

25/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर